न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया– आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या 09/2018

वादीगण –

01. श्रीमती अनोप कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री उदयसिंह पत्नी श्री दुर्गसिंह निवासी रोहिचा कलां, हाल ग्राम बिराई तहसील बावडी जिला जोधपुर।
02. श्रीमती पारस कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री उदयसिंह पत्नी कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिचा कलां हाल पता ग्राम रामा तहसील आहोर जिला जालोर।
03. श्रीमती विशन कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री उदयसिंह पत्नी श्री नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिचा कलां हाल पता सरदारसमंद फार्म, तहसील रोहट जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण –

01. मृतक स्वर्गीय भवानीसिंह पुत्र उदयसिंह के कायम मुकामान :
    1/1. जितेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री भवानीसिंह
    1/2. विक्रमसिंह पुत्र स्वर्गीय भवानीसिंह
    1/3 श्रीमती गुलाबकंवर पत्नी स्वर्गीय भवानीसिंह
02. मृतक स्वर्गीय शंकरसिंह पुत्र स्वर्गीय उदयसिंह के कायम मुकामानः
    2/1. पवन कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री शंकरसिंह
    2/2. दशरथ कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री शंकरसिंह पत्नी खुमानसिंह
    2/3. तेजपालसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री शंकरसिंह
    2/4. निलम कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री शंकरसिंह
03. मृतक स्वर्गीय शिवसिंह पुत्र स्वर्गीय उदयसिंह के कायम मुकामान :
    3/1. उमराव कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री शिवसिंह
    3/2. बलवीरसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री शिवसिंह
    3/3 नरेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री शिवसिंह
    3/4. नीतू कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री शिवसिंह पत्नी शम्भुसिंह
    3/5. चन्दनकंवर पुत्री स्वर्गीय श्री शिवसिंह पत्नी शेरसिंह

    सभी जातियान राजपूत निवासीगण गाम रोहिचा कलां तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
04. श्रीमती वरजू देवी पत्नी श्री शिवराम
05. शिवाराम पुत्र काछबराम
06. श्रीमती कमला पत्नी चिमाराम
07. चिमनाराम पुत्र श्री काछबराम

    सभी जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम रोहिचा कलां तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
08. तहसीलदार लुणी, जिला जोधपुर।
09. सरपंच ग्राम पंचायत रोहिचा कलां, पंचायत समिति लुणी, जिला जोधपुर।

उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी आदेश

उपस्थिति–

01. वादी की और से अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह चम्पावत उपस्थित

02. प्रतिवादीगण सं.01 से 07 की और से श्री समशेरसिंह राठौड उपस्थित

03. प्रतिवादी संख्या 08 की और से सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक 1/1/2025

वादीगण के वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के भाई गुलाबसिंह पुत्र श्री उदयसिंह की सामलात खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम रोहिचा कलां तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा नंबर 320 रकबा 76 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 372/320 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 465/335 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 513/16 रकबा 33 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 110 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादीगण के भाई गुलाबसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वज उदयसिंह की थी। उदयसिंह का देहान्त के पश्चात वादीगण के भाई गुलाबसिंह व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुई। वादीगण के भाई 25 वर्ष पूर्व रोहिचा कलां से जोधपुर गये थे, परन्तु जोधपुर से रोहिचा कलां वापिस नहीं लौटे। जिस पर गुलाबसिंह के परिवार ने व रिश्तेदारों ने उन्हें ढुंढने का भरसक प्रयास किये, लेकिन वो नहीं मिले। गुलाबसिंह को मृत मानने की अवधारणा कायम करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा। क्योकि उनको घर से गये 25 वर्ष की लम्बी अवधि गुजर चुकी उस समय उनका पुत्र महेन्द्रसिंह व माता ग्रामीण अनपढ महिला होने, कानून की जानकारी के अभाव में रपट दर्ज नहीं करवाई। लेकिन कालान्तर में गुलाबसिंह की पत्नी श्रीमती रतनकंवर का स्वर्गवास 01.11.2011 को हो गया। कानून की यह मंशा है कि लापता व्यक्ति का सात साल तक कोई पता नहीं चले तो मृत होने की अवधारणा कर लेनी चाहिए। महेन्द्रसिंह एकमात्र सन्तान अपने पिता की खातेदारी भूमि का विरासत म्युटेशन स्वीकृत करवाना चाहा। जिसके लिए ग्राम पंचायत रोहिचा कलां रोहिचा कलां से गुलाबसिंह लापता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आवेदन किया। जिस पर ग्राम पंचायत सरपंच रोहिचा कलां ने दिनांक 22.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

12.2017 को प्रमाणपत्र जारी किया। जिस प्रमाणपत्र के तहत म्युटेशन स्वीकृत करने हेतु नियम 138 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रार्थनापत्र महेन्द्रसिंह की और से तहसीलदार, लूणी के यहाँ पेश किया, लेकिन तहसीलदार लुनी ने म्युटेशन भरने से इंकार कर दिया। जिस पर महेन्द्रसिंह ने यह वाद इस न्यायालय में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। गुलाबसिंह दिनांक 05.09.1992 को लापता होने के पश्चात उनका एकमात्र पुत्र महेन्द्रसिंह सामलात रूप से उनके हक हिस्से एवं बंट की खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त रहा। जिस पर प्रतिवादीगण को कोई उज़्र एतराज एवं आपत्ति नहीं रहा। गुलाबसिंह को मृतक माने जाने के पश्चात उनके पुत्र महेन्द्रसिंह के हक–हकूक एवं स्वामित्व अधिकार उत्पन्न होने पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 04 से 07 को प्रफोर्मा पक्षकार है, जिससे कोई अनुतोष नहीं चाहा। राज. सरकार जरिये तहसीलदार लुनी को प्रतिवादी 8 पक्षकार इसलिए बनाया गया है कि ये लेण्ड लोर्ड है, प्रतिवादी संख्या 09 ग्राम पंचायत को इसलिए पक्षकार बनाया गया है कि वो वारिसान की जॉच कर म्युटेशन तस्दीक करे। अंत में मृतक महेन्द्रसिंह ने वाद के पद संख्या 01 में वर्णित सामलात कृषि भूमि ग्राम रोहिचा कलां तहसील लुनी, जिला जोधपुर के खसरा नंबर 320 रकबा 76 बीघा 17 बिस्वा खसरा नंबर 372/320 रकबा 09 बिस्वा खसरा नंबर 465/335 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 513/16 रकबा 33 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 110 बीघा 12 बिस्वा में महेन्द्रसिंह के पिता गुलाबसिंह के पिता गुलाबसिंह के हक, हिस्से बंट की खातेदारी भूमि का खातेदार घोषित किया जावे, लेकिन ईश्वर को ये भी मंजूर नहीं हुआ तथा गुलाबसिंह के सामलात हक हिस्से की कृषि भूमि अविवाहित महेन्द्रसिंह के खाते में आने से पूर्व ही महेन्द्रसिंह का देहान्त दिनांक 25.05.2024 को हो गया। गुलाबसिंह के हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रथम श्रेणी की कोई वारिस न होने पर वादीगण द्वितीय श्रेणी के वारिसान होने से प्रार्थनापत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का पेश किया, जिस प्रार्थनापत्र को बाद सुनवाई स्वीकार कर अनोपकंवर, पारसकंवर एवं विशन कंवर को वादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया तथा वादीगण ने अपने मृतक भाई गुलाबसिंह के हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, और इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी व्यादेश की डिक्री भी पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त व उपयोग में किसी प्रकार की दखलांदाजी पैदा नहीं करे। अन्य अनुतोष जो वादीगण के हक में अता फरमावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

वादीगण के वादपत्र का इकबालिया जबाबदावा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 की और से पेश कर, वाद पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया कि सरहद मौजा ग्राम रोहिचा कलां के खसरा नंबर 320 रकबा 76 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 372/320 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 465/335 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 513/16 रकबा 33 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 110 बीघा 12 बिस्वा आई हुई है। जिसमें सामलात हिस्सा उदयसिंह का था, का स्वर्गवास होने पर उनके पुत्र गुलाबसिंह एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया, सामलात रूप से कब्जा काश्त है। वाद पत्र को स्वीकार किया है तथा अपने इबालिया जबाबदावा में लिखा है कि गुलाबसिंह 25 वर्ष पूर्व घर गांव से निकलने के बाद ढुढने का अथक प्रयास किया, नहीं मिला और न ही देखा गया, भविष्य में पता लगने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए अब गुलाबसिंह को मृत मानने की अवधारणा करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। वादीगण के भाई गुलाबसिंह के हक, हिस्से एवं बंट की सामलात खातेदारी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई किसी प्रकार का उज़्र एतराज एवं आपत्ति नहीं है। जब वादीगण के वादपत्र का प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 ने इकबालिया जबाबदावा पेश किया है, ऐसी अवस्था में इस वाद में तनकियात साक्ष्य इत्यादि लिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण विद्वान अधिवक्ता व प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर वादपत्र अनुसार डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की।

इस प्रकार उपरोक्त तमाम विवेचन एवं विश्लेषण तथा प्रस्तुत वाद पत्र, इकबालिया जबाबदावा, राजस्व रेकर्ड नकल जमाबंदी, दस्तावेजों एवं उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस के दौरान दिये गये तर्को पर मनन कर विचार किया कि वादीगण का वाद स्वीकार किए जाने योग्य पाते है परिणामस्वरूप वादीगण का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है –

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

आदेश

वादीगण श्रीमती अनोप कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री उदयसिंह, श्रीमती पारस कंवर पुत्री स्वर्गीय उदयसिंह एवं श्रीमती विशनकंवर पुत्री स्वर्गीय उदयसिंह को खेत खसरा नंबर 320 रकबा 76 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 372/320 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 465/335 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 513/16 रकबा 33 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 110 बीघा 12 बिस्वा के 1/4 हिस्सा अर्थात रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा मौजा ग्राम रोहिचा कलां की सामलात खातेदारी भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस रकबे का इन्द्राज वर्तमान रेकर्ड में दर्ज रकबे में से 27 बीघा 13 बिस्वा गुलाबसिंह के स्थान पर वादीगण का नाम अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार लुनी को आदेश की पालना हेतु आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वादीगणों का नाम राजस्व रेकर्ड में गुलाबसिंह के स्थान राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

02. प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी व्यादेश की डिक्री पारित की जाती है कि वादीगण के सामलात हक हकूक एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण दखलांदाजी नहीं करे और न ही अवरोध पैदा करें।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर लूणी

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, लूणी)

निर्णय आज 01/11/2025 दिनांक सुनाया गया। को बसरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर लूणी

प्राथमिक डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 09/2018

वादीगण –

01. श्रीमती अनोप कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री उदयसिंह पत्नी श्री दुर्गसिंह निवासी रोहिचा कलां, हाल ग्राम बिराई तहसील बावडी जिला जोधपुर।
02. श्रीमती पारस कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री उदयसिंह पत्नी कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिचा कलां हाल पता ग्राम रामा तहसील आहोर जिला जालोर।
03. श्रीमती विशन कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री उदयसिंह पत्नी श्री नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिचा कलां हाल पता सरदारसमंद फार्म, तहसील रोहट जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण –

01. मृतक स्वर्गीय भवानीसिंह पुत्र उदयसिंह के कायम मुकामान :
    1/1. जितेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री भवानीसिंह
    1/2. विक्रमसिंह पुत्र स्वर्गीय भवानीसिंह
    1/3 श्रीमती गुलाबकंवर पत्नी स्वर्गीय भवानीसिंह
02. मृतक स्वर्गीय शंकरसिंह पुत्र स्वर्गीय उदयसिंह के कायम मुकामानः
    2/1. पवन कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री शंकरसिंह
    2/2. दशरथ कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री शंकरसिंह पत्नी खुमानसिंह
    2/3. तेजपालसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री शंकरसिंह
    2/4. निलम कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री शंकरसिंह
03. मृतक स्वर्गीय शिवसिंह पुत्र स्वर्गीय उदयसिंह के कायम मुकामान :
    3/1. उमराव कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री शिवसिंह
    3/2. बलवीरसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री शिवसिंह
    3/3 नरेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री शिवसिंह
    3/4. नीतू कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री शिवसिंह पत्नी शम्भुसिंह
    3/5. चन्दनकंवर पुत्री स्वर्गीय श्री शिवसिंह पत्नी शेरसिंह
    सभी जातियान राजपूत निवासीगण गाम रोहिचा कलां तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
04. श्रीमती वरजू देवी पत्नी श्री शिवराम
05. शिवाराम पुत्र काछबराम
06. श्रीमती कमला पत्नी चिमाराम
07. चिमनाराम पुत्र श्री काछबराम
    सभी जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम रोहिचा कलां तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
08. तहसीलदार लुणी, जिला जोधपुर।
09. सरपंच ग्राम पंचायत रोहिचा कलां, पंचायत समिति लुणी, जिला जोधपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी आदेश

बमुकदमा संख्या 09/2018

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रूबरू हमारे बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री ईश्वरसिंह चम्पावत मिनजानिब मुदई व अधिवक्ता वकील प्रतिवादीगण श्री समशेरसिंह राठौड एवं सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि –

01. अतः आदेश है कि वादीगण का वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थायी व्यादेश का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण श्रीमती अनोप कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री उदयसिंह, श्रीमती पारस कंवर पुत्री स्वर्गीय उदयसिंह एवं श्रीमती विशनकंवर पुत्री स्वर्गीय उदयसिंह को खेत खसरा नंबर 320 रकबा 76 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 372/320 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 465/335 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 513/16 रकबा 33 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 110 बीघा 12 बिस्वा के 1ध4 हिस्सा अर्थात रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा मौजा ग्राम रोहिचा कलां की सामलात खातेदारी भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस रकबे का इन्द्राज वर्तमान रेकर्ड में दर्ज रकबे में से 27 बीघा 13 बिस्वा गुलाबसिंह के स्थान पर वादीगण का नाम अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार लुनी को आदेश की पालना हेतु आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वादीगणों का नाम राजस्व रेकर्ड में गुलाबसिंह के स्थान राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर अमल दरामद करे।

2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी व्यादेश की डिक्री पारित की जाती है कि वादीगण के सामलात हक हकूक एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण दखलांदाजी नहीं करे और न ही अवरोध पैदा करें।

लीज............मुबलिक............बाबत्.............खर्चा............इस मुकदमें के मय सूद वगैरह........... की सदी सलाना आज तारीख वसूलयाबी तक............. को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 01/01/2025 को जारी कीगई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

मुद्दाई	रूपया	पैसे	मुद्दायलाई	रूपये	पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प		
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक मिजान			मुतफर्रिक मिजान		

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी